

स्थान Place:

दिनांक Date:

EEZIGIZ Hyderabad

09.08.2018



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(बीमा दलाल) विनियम, 2018 (Insurance Brokers) Regulations, 2018 पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION अनुसूची I - फार्म एल (विनियम 14(8) देखें) Schedule I - Form L (See Regulation 14(8))

By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

पंजीकरण संख्या Registration No.: 179
1. मेसर्स लगाई फ एएड जानरल डेश्यो रेस राण्ड री इंश्यो रेस श्री करने प्राप्त के बिनयम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938
(1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।
The Certificate of Registration of M/s. Life & General Insurance and Reinsurance Brokers Category Composite Broker
is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)
2. हैदराबाद में . ०१ दिन अग्रेट्स (माह) दो हजार अर्थ । इंट्रें को जारी किया गया। Issued at Hyderabad on _ ०१ th
3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र. 01:07:2018 से 30:06:2021 तक विधिमान्य होगा। This Certificate of Registration shall be valid from 01:07:2018 to 30:06:2021
4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गाये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निदेशों का पालन करेगा।
This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars, & Directions issued by the Authority from time to time
आदेशानुसार